

कार्यालय मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक एफ.3(45)डीपीसी/का.अ./स्था-3/ 2128

दिनांक:- 01-05-17

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम -33 के अन्तर्गत गठित वर्ष 2016-17 की रिज्यू विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर मंत्रालयिक सेवा के कार्यालय अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद की रिक्तियों के विरुद्ध निम्नलिखित सहायक कार्यालय अधीक्षकों को दरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर कार्यालय अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर एतद् द्वारा निम्नानुसार पदोन्नत किया जाता है :-


क्र. सं.	नाम	वर्ग	जन्म तिथि	चयनित वर्ष
1	श्री हनुमान सहाय	सामान्य	05.07.1956	2016-17
2	श्री रतन लाल	सामान्य	08.07.1957	2016-17
3	श्री राजेन्द्र कुमार	सामान्य	15.03.1957	2016-17
4	श्री नोरतमल महलोत	सामान्य	20.11.1956	2016-17
5	श्री सुरेश कुमार पारीक	सामान्य	02.09.1958	2016-17
6	श्री काना लाल भगोरा	अ.ज.जा.	01.01.1957	2016-17
7	श्री भगवान दास भाटिया	सामान्य	01.09.1957	2016-17
8	श्री बशीर मोहम्मद	सामान्य	06.09.1957	2016-17
9	श्री सीताराम मीणा	अ.ज.जा.	05.07.1959	2016-17

उपरोक्त नव पदोन्नत कार्यालय अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारी का पदस्थापन विभाग में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तुरन्त प्रभाव से राज्यहित में आदेशित किया जाता है।

क्र. सं.	नाम	वर्तमान पदस्थापित कार्यालय का नाम	पदोन्नति पश्चात नव पदस्थापित कार्यालय का नाम
1	श्री रतन लाल	अधिशायी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड नोहर	अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन वृत्त नोहर
2	श्री सुरेश कुमार पारीक	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जल संसाधन संभाग उदयपुर	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जल संसाधन संभाग उदयपुर
3	श्री भगवान दास भाटिया	अधिशायी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड द्वितीय भीलवाड़ा	अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन वृत्त भीलवाड़ा
4	श्री बशीर मोहम्मद	अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन वृत्त भीलवाड़ा	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जल संसाधन संभाग उदयपुर के अधीन
5	श्री सीताराम मीणा	अधिशायी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड सवाई माधोपुर	मुख्य अभियन्ता गुण नियन्त्रण एवं सतर्कता जयपुर

नोट :-

1. उपरोक्त नवपदोन्नत कार्यालय अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारी आदेश के जारी होने की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में उनकी उपस्थिति रिपोर्ट नवपदस्थापन पर प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उनके पदोन्नति / पदस्थापन आदेश स्वतः ही निरस्त माने जाएंगे।
2. संबंधित अधिकारी उनकी उपस्थिति रिपोर्ट की सूचना की एक प्रति इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवायेंगे यदि कोई कर्मचारी पदोन्नति का अवसर नहीं लेना चाहता है तो वह इस आशय का आवेदन पत्र संबंधित अधिकारी को कार्यप्रवर्तकाल में प्रस्तुत करेगा और इसकी भी एक प्रति सीधे ही इस कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेगा।

 28/4


अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
जल संसाधन राजस्थान जयपुर।

क्रमांक एफ.3(45)डीपीसी/का.अ./स्था-3/2129-36

दिनांक:- 01-05-17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन हनुमानगढ़/गुण नियन्त्रण एवं सतर्कता जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जल संसाधन संभाग उदयपुर/जयपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन वृत्त नोहर/भीलवाड़ा।
4. अधीक्षणी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड सवाई माधोपुर/नोहर/भीलवाड़ा।
5. ~~उपनिदेशक (आई.टी.) जल संसाधन, सिंचाई भवन, जे.एल.एन.मार्ग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावे।~~
6. निजी सचिव, मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन, जयपुर/निजी सहायक, अति० मुख्य अभियन्ता (मुख्या०) जल संसाधन, जयपुर।
7. श्री कार्यालय अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा
8. रक्षा पत्रावली।


अधीक्षण अभियन्ता (प्रशासन)

वास्ते मुख्य अभियन्ता जल संसाधन
राजस्थान जयपुर